UPMZ010068152026

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या 06, मुजफ्फरनगर।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या– 2911/2026

1. धर्मापाल पुत्र हरदेवा
2. सोमवीर पुत्र धर्मपाल
3. मोनू पुत्र धर्मपाल निवासीगण ग्राम दौलतगढ़ी, थाना कांधला, जिला शामली।
4. रॉकी पुत्र उदयपाल निवासी इस्लामपुर सौली, थाना कांधला, जिला शामली
5. सोनी पुत्र पीरू, निवासी ग्राम बेहड़ा सादात, थाना ककरौली, जिला मुजफ्फरनगर।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

अंतर्गत धारा– 112, 313 बी.एन.एस.
व धारा 4/25 आयुद्ध अधिनियम
मु0 अ 0 सं0–261/2026
थाना–नई मण्डी, जिला–मुजफ्फरनगर

दिनांक–15.06.2026

1. आवेदकगण/अभियुक्तगण धर्मपाल, सोमवीर, मोनू, रॉकी, सोनी की ओर से यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो मु0 अ 0 सं0–261/2026, धारा–112, 313 बी.एन.एस, व धारा 4/25 आयुद्ध अधिनियन थाना–नई मण्डी, जिला मुजफ्फरनगर के मामले में जिला कारागार में निरूद्ध है। प्रार्थनापत्र, प्रार्थी/अभियुक्त के पैरोकार माता के शपथपत्र से समर्थित है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी द्वारा इस आशय की तहरीर थाने पर दी गयी कि दिनांक 25.05.2026 को पुलिस पार्टी द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्तगण को अन्य सहअभियुक्त के साथ गिरोह बनाकर लूट व चोरी की योजना बनाते हुए पकड़ा गया, तथा अभियुक्त के कब्जे से चाकू बरामद हुआ।

3. जमानत के आधार के रूप मे अभियुक्त के द्वारा यह बताया गया है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण कतई निर्दोष है प्रार्थी ने कोई अपराध नहीं किया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण कतई बेगुनाह है तथा पार्टीबाजी के कारण गांव वालो ने पुलिस से मिलकर प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को घर से उठाकर तथा थाने लाकर वहां पर पुलिस ने उसने नाजायज धन की मांग की और न देने पर उपरोक्त केस में झूठा फंसा दिया। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण पूर्व सजायफता नहीं है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण दिनांक

26.05.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को दौरान वाद उचित जमानत पर रिहा फरमाये जाने की कृपा करे।

4. अभियोजन की ओर से विद्वान विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा आपत्ति करते हुए यह कथन किया गया है कि अभियुक्तगण द्वारा किया गया अपराध गम्भीर प्रकृति का है। जमानत प्रार्थनापत्र का घोर विरोध किया जाता है। अतः जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाये।

5. अभियुक्तगण अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि अभियुक्तगण को झूठा फंसाया गया है, उसने कोई अपराध नहीं किया है। घटना का कोई स्वतन्त्र साक्षी नहीं है। अतः अभियुक्तगण को जमानत प्रदान की जाये।

6. जमानत के बिन्दु पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विद्वान सहायक लोक अभियोजक (फौजदारी) के तर्कों को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

7. प्रपत्रो के परिशीलन के विदित होता है कि अभियुक्तगण पर पुलिस पार्टी द्वारा अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर चोरी व लूट की योजना बनाते हुए पकड़े जाने का आरोप है। अभियोजन द्वारा बरामदगी का कोई स्वतन्त्र साक्षी नहीं बताया गया है। अभियुक्तगण दिनांक 26.05.2026 से जिला कारगार में निरुद्ध है। अतः मामले के गुणदोष पर बिना कोई टिप्पणी किए अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाने का आधार पर्याप्त है।

आदेश

आवेदकगण/अभियुक्तगण धर्मपाल, सोमवीर, मोनू, रॉकी, सोनी की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदकगण/ अभियुक्तगण प्रत्येक को अंकन 50,000/– रूपये (पचास हजार रूपये) का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं इसी धनराशि के एक–एक विश्वनीय प्रतिभू निष्पादित करने पर सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि पर इस शर्त पर रिहा किया जाता है कि वह दौरान विचारण मामले से सम्बन्धित साक्षीगण को प्रभावित नहीं करेगा। अभियुक्त के द्वारा अपने व्यक्तिगत बंध पत्र पर तथा जमानतनामें के द्वारा बंध पत्र पर अपना आधार नम्बर तथा चालू मोबाईल नम्बर अंकित किया जायेगा। न्यायालय के द्वारा नियत की गई प्रत्येक तिथि पर न्यायालय में उपस्थित रहेगा।

प्रभारी/अपर जनपद व सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या–06, मुजफ्फरनगर।